



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251744
CG-DL-E-02022024-251744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]
No. 26]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

फा. सं. 7/32/2022-BOA-I.—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 40 में यह परिकल्पना की गई है कि केंद्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के परामर्श से दिव्यांगजनों के लिए नियम तैयार करेगी जिनमें समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई अन्य सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, जानकारी और संचार व्यवस्था तक पहुंच के मानकों को निर्धारित किया जाएगा।

और जबकि, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं और सेवाओं तक दिव्यांगजनों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से हितधारकों और मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के परामर्श से “बैंकिंग क्षेत्र के लिए अभिगम्यता मानक और दिशानिर्देश” तैयार करेगा।

अब, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एतद्वारा “बैंकिंग क्षेत्र के लिए अभिगम्यता मानक और दिशानिर्देश” को अधिसूचित करता है और यह <https://financialservices.gov.in> पर उपलब्ध है।

समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2024

F. No. 7/32/2022-BOA-I.—Whereas section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016) envisages that the Central Government shall, in consultation with the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, formulate rules for persons with disabilities laying down the standards of accessibility for the physical environment, transportation, information and communications, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services provided to the public in urban and rural areas;

And whereas, Department of Financial Services, Ministry of Finance, with intent to address accessibility needs of persons with disabilities in respect of the facilities and services pertaining to Banking Sector, in consultation with the stakeholders and office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, formulated the “Accessibility Standards and Guidelines for Banking Sector”;

Now, Department of Financial Services, Ministry of Finance hereby notifies the “Accessibility Standards and Guidelines for Banking Sector” and the same is available at <https://financialservices.gov.in> .

SAMEER SHUKLA, Jt. Secy.